[illegible]
[illegible] 12/[illegible]/2024
निर्णीत दिनांक 07.01.2025

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

अपील संख्या :–12 / 13 / 2025 ऑनलाईन नम्बर:–2025 / 305 प्रवेश तिथि:–25.08.2025

1. फूलवती पुत्री श्री मुन्शी मीना निवासी बडला तहसील टहला जिला अलवर।

......................अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत श्रीचन्दपुरा पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
3. तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर।

......................रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी नामान्तकरण संख्या 392
निर्णय दिनांक 19.08.2019 वाके ग्राम पंचायत श्रीचन्दपुरा
पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर
उपस्थित – 1. श्री देवेन्द्र सारसर एड0–अपीलान्ट

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

–:निर्णय:–

दिनांक 06 / 02 / 2026

1 आज यह अपील वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वकील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या खाता संख्या 59 खसरा संख्या 169 / 0.04, 178 / 0.03, खाता संख्या 86 खसरा संख्या 11 / 0.53, 170 / 0.32, 55 / 0.07, 72 / 0.29, 84 / 0.22, खाता संख्या 115 खसरा संख्या 59 / 0.01, 60 / 0.07, 61 / 640 / 0.05, वाके ग्राम बडला तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजीयात का अपीलांट का पिता पूर्व में मुन्शी बतौर खातेदार काश्त किया करते थे। अपीलांट के पिता मुन्शी का स्वर्गवास हो गया जिस पर मृतक मुन्शी की खातेदारी की आराजी के विरासत का इंतकाल दर्ज कराने बाबत रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 19.08.2019 को मृतक मुन्शी की विरासत का इन्तकाल संख्या 392 अपीलान्ट व अन्य वारिसान के पक्ष में दर्ज कर स्वीकार कर लिया गया। किन्तु रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा सहवन से अपीलान्ट के नाम फूलवती के स्थान पर टोकाबाई दर्ज कर दिया गया। जिस आधार पर उक्त आराजी में अपीलांट का नाम टोकाबाई दर्ज हो गया। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम फूलवती है। जो नाम ही अपीलांट के आधार कार्ड तथा समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजात में दर्ज है। अन्त में अपील अपीलान्ट ने निवेदन किया की आराजी खसरा संख्या खाता संख्या 59 खसरा संख्या 169 / 0.04, 178 / 0.03, खाता संख्या 86 खसरा संख्या 11 / 0.53, 170 / 0.32, 55 / 0.07, 72 / 0.29, 84 / 0.22, खाता संख्या 115 खसरा संख्या 59 / 0.01, 60 / 0.07, 61 / 640 / 0.05, वाके ग्राम बडला तहसील टहला जिला अलवर में इन्तकाल संख्या 392 दिनांक 19.08.2019 के निर्णय को रिमाण्ड करते हुए अपीलान्ट का नाम टाकाबाई के स्थान पर फूलवती किये जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया गया। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम पंचायत श्रीचन्दपुरा पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 19.08.2019 बाबत नामांतरकण संख्या 392 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पा0 संख्या 1 बाद सुचना तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 3 असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये और उनके द्वारा जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है– आराजी खसरा संख्या खाता संख्या 59 खसरा संख्या 169 / 0.04, 178 / 0.03, खाता संख्या 86 खसरा संख्या 11 / 0.53, 170 / 0.32, 55 / 0.07, 72 / 0.29, 84 / 0.22, खाता संख्या 115 खसरा संख्या 59 / 0.01, 60 / 0.07, 61 / 640 / 0.05, वाके ग्राम बडला तहसील टहला जिला अलवर में टोकाबाई पुत्र मुन्शी जाति मीना वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व रिकार्ड ग्राम बडला में नामा0 संख्या 332 दिनांक 19.08.2019 विरासत के तहत अपीलान्ट के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मजममे आम मे जॉच करने पर उपस्थित लोगो द्वारा टोकाबाई पुत्री मुन्शी जाति मीना व फूलवती पुत्र मुन्शी जाति मीना दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। फूलवती को ही आम बोलचाल की में टोकाबाई कहा जाना बताया है। इन नामों का राजस्व ग्राम बडला में कोई अन्य महिला नही होना बताया गया है।

3. प्रकरण बहस वकील अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एंव रैस्पा0 संख्या 2 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उक्त आराजी में के नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 19.08.2019 में अपीलांट का नाम टोकाबाई पुत्र मुन्शी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसका सही नाम फूलवती पुत्र मुन्शी दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अन्त में सहवन से उपरोक्त वर्णित आराजी का नामांतकरण संख्या 392 दिनांक 19.08.2019 द्वारा दर्ज हो गया है। जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है की

अपील अपीलान्ट बाबत् इन्तकाल संख्या 392 निर्णय दिनांक 19.08.2019 वाके ग्राम बडला ग्राम पंचायत श्रीचन्दपुरा पंचायत समिति राजगढ तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टहला जिला अलवर को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट का नाम टोकाबाई के स्थान पर फूलवती उर्फ टोकाबाई दर्ज कर पुनः इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 06/ 02 / 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हों।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते